भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 3841

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: तमिलनाडु में किसानों को सहायता

3841. श्री दुरई वाइकोः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और पुदुकोट्टई जिलों में किसानों को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए पिछले पाँच वर्षों में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त जिलों में कृषि उत्पादकता, सिंचाई, फसल विविधीकरण या जैविक खेती में सुधार लाने पर केंद्रित कोई विशेष योजनाएँ या पहल शुरू की हैं या कार्यान्वित की हैं;

(ग) क्या तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में कृषि संबंधी अवसंरचना जैसे शीत भंडारण इकाइयाँ, प्रसंस्करण केंद्र, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ या किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) उक्त दोनों जिलों में किसानों को पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई, पीएमकेएसवाई और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी केंद्रीय योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में संधारणीय और लाभप्रद खेती सुनिश्चित करने के लिए किसान कल्याण सुविधाएँ अथवा कृषि-क्लस्टर स्थापित करने हेतु सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के साथ-साथ विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। तमिलनाडु सहित कृषि क्षेत्र में राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची **अनुबंध**-I में दी गई है। ये योजनाएँ कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पर केंद्रित हैं।

पीएम-किसान की 20वीं किस्त में पुदुक्कोट्टई जिले में 81,936 लाभार्थियों को 16.76 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जबकि तिरुचिरापल्ली जिले में 1,00,927 लाभार्थियों को 20.96 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत, कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, इन दो जिलों सहित तमिलनाडु में वर्ष 2024-25 के दौरान 40,38,150 केसीसी खातों में 55,120.96 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया।

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) के अंतर्गत, जल दक्षता बढ़ाने के लिए, पीडीएमसी के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2015-16 से तमिलनाडु को 2,953.38 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी/स्वीकृत की गई है। इस अवधि के दौरान, तमिलनाडु राज्य में इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कुल 12.64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान तिरुचिरापल्ली जिले में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 21,506.58 हेक्टेयर और पुदुक्कोट्टई जिले में 19,401.62 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत, किसानों के जोखिम न्यूनीकरण के लिए, 2020-21 से जून, 2025 तक के आंकड़े इस प्रकार हैं:-

ज़िला	नामांकित आवेदन (संख्या में)	बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	बीमा - राशि	किसान का शेयर	भुगतान किए गए दावे	लाभान्वित आवेदन
			(रूपए करोड़ में)			(संख्या में)
पुदुक्कोट्टई	15,67,761	3.31	2,660.00	40.13	182.16	4,00,694
तिरुचिरापल्ली	7,61,923	1.85	1,396.75	27.44	181.95	2,99,159

सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2015-16 में इसकी शुरुआत से लेकर अब तक, तमिलनाडु राज्य को कुल 62.37 करोड़ रुपये (30.06.25 तक) जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 32940 हेक्टेयर क्षेत्र में 37886 किसान लाभान्वित हुए हैं। ज़िलेवार जानकारी केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की शुरुआत की गई। तमिलनाडु राज्य के लिए 30 जून, 2025 तक, एआईएफ के तहत 7,995 परियोजनाओं के लिए 2,691 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत 3,708 करोड़ रुपये है। एआईएफ के तहत, तिरुचिरापल्ली जिले में 207 करोड़ रुपये की 324 परियोजनाएँ और तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले में 86 करोड़ रुपये की 193 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

अनुबंध I

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाएँ

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
5. संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)
6. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
7. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
8. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
9. नमो ड्रोन दीदी
10. स्टार्ट-अप्स एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
11. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
12. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
13. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
14. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
15. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
16. सॉयल हेल्थ एंड फर्टीलिटी (एसएचएंडएफ)
17. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
18. कृषि वानिकी
19. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
20. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)- ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
27. राष्ट्रीय बांस मिशन

******